भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1854
दिनांक 01.08.2023/10 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना

†1854. श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के तिरूपति में राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार के पास देश के दक्षिणी भाग में न्यायालयिक जांच विशेषज्ञों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क)से (ख) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत, देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित न्यायालयिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए,की गई थी। एनएफएसयू का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है और विभिन्न ऑफ-कैंपस व संबद्ध विद्यालयों के माध्यम से संचालित होता है जो छात्रों की उपलब्धता, स्थान की व्यवहार्यता और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इच्छा इत्यादि, जैसे बिंदुओं के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

(ग) से (घ) फोरेंसिक विज्ञान क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना अनुमोदित की गयी है। इसके तहत सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण, और फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए सहायता दी जाएगी।

****